

बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

निबंधन  
आदेश

सं०सं०-Vi/स्था०(अरा०)नि०विविध-29/2023.....1148...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) को उच्चवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-04) में, उसके विहित वेतनमान सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

| क्र० सं० | वरीयता क्रमांक<br>(मूल कोटि) | नाम                   | गृह जिला   | कोटि        |
|----------|------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1        | 2                            | 3                     | 4          | 5           |
| 1        | 424                          | श्री विजय कुमार वर्मा | सीतामढ़ी   | सामान्य     |
| 2        | 425                          | श्रीमती रेणु देवी     | मधेपुरा    | सामान्य     |
| 3        | 451                          | श्री संजय कुमार       | मुजफ्फरपुर | अ०पि०व०     |
| 4        | 467                          | श्रीमती पुनीता कुमारी | मधुबनी     | सामान्य     |
| 5        | 556                          | श्री शेखर कुमार       | भागलपुर    | पिछड़ा वर्ग |
| 6        | 558                          | श्री आशिक कुमार       | जहानाबाद   | पिछड़ा वर्ग |
| 7        | 567                          | श्री संदीप कुमार      | रोहतास     | अनु०जाति    |
| 8        | 573                          | श्री अभिषेक प्रकाश    | पटना       | सामान्य     |
| 9        | 580                          | श्री सुमित कुमार      | वैशाली     | सामान्य     |
| 10       | 581                          | श्री विनय कुमार       | प० चम्पारण | सामान्य     |
| 11       | 591                          | मो० सलीम अहमद         | भागलपुर    | सामान्य     |
| 12       | 607                          | श्री अजय कुमार        | औरंगाबाद   | अनु०जाति    |

02. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
03. उच्चतर पद के साथ विहित वेतनमान का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

04. उपर्युक्त निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उच्चवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-04) में उत्क्रमित किया जाता है।
05. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा एवं एतद् क्रम में उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य होगा।
06. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश/न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर प्रदान की जाती है।
07. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(डॉ० संजय कुमार)  
उप निबंधन महानिरीक्षक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- Vi/स्था0(अरा0)नि0.विविध-29/2023 1148 पटना, दिनांक:- 07.03.25

**प्रतिलिपि-** माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/सभी संबंधित समाहर्ता सह जिला निबंधक/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी संबंधित जिला अवर निबंधक/सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

  
उप निबंधन महानिरीक्षक,  
बिहार, पटना।